न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 205/2020

1. शमशेर पुत्र सरजीत जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।

:— वादी

व नाम

1 सरजीत पुत्र हरनाम जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।

2 करणपालसिंह पुत्र सरजीत जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।

3 सरला पुत्री सरजीत जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।

4 राजबाला पुत्री सरजीत जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पुनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिकी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 ज़ेजीडब्ल्यू के खाता सं0 300/296 के मु0 न0 118 के किला न0 17 ता 24, मु0 न0 119 किला न0 25, मु0 न0 136 के किला न0 5 ता 11, मु0 न0 137 के किला न0 1 ता 4, कुल 3.744है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 सरजीत के नाम दर्ज भूमि में वाद भूमि में प्रतिवादी सं 1 सरजीत का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चुंकि प्रतिवादी स0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 शमशेर व प्रतिवादी सं0 2 करणपाल सिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.12.20.. को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला. हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 205/2020

अनवान :

1. शमशेर पुत्र सरजीत जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।

:— **वादी**

ब ना म

1 सरजीत पुत्र हरनाम जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।

2 करणपालसिंह पुत्र सरजीत जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।

3 सरला पुत्री सरजीत जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।

4 राजबाला पुत्री सरजीत जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पुनियां **: वादी**
वकील श्री उम्मेद मोठसरा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 24.12.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 300/296 के मु0 न0 118 के किला न0 17 ता 24, मु0 न0 119 किला न0 25, मु0 न0 136 के किला न0 5 ता 11, मु0 न0 137 के किला न0 1 ता 4, कुल 3.744है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 सरजीत के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। व रोही चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 299/295 के मु0 न0 69 के किला न0 11, 12, 19, 20, मु0 न0 70 के किला न0 6, 7, 15, 16 कुल 2.024है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सरजीत के नाम से खातेदारी दर्ज है, व चक 10 जेएसएल के खाता सं0 81/81 के मु0 न0 147 के किला न0 23 व 24 की कुल 0.506है0 में प्रतिवादी सरजीत के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 9 जेएसएल के खाता सं0 101/98 के मु0 न0 10 के किला न0 3 ता 8 कुल 1.518है0 में प्रतिवादी सरजीत के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता हरनाम की खातेदारी हुआ करती थी। हरनाम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 सरजीत ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी [illegible] से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि [illegible] सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु शमशेर पुत्र सरजीत के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य मे सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम 9 जेएसएल व 10 जेएसएल व 11 जेजीडब्ल्यू प्रदर्श 1 ता 5 है। वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सागडा प्रदर्श 3 पुरानी जमाबंदी चक 11 जेजीडब्ल्यू प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम चक 11 जेजीडब्ल्यू, 10 जेएसएल, 9 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में दो पुत्र शमशेर, करणपाल सिंह व दो पुत्री राजबाला व सरला के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही मौजा चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 300/296 के मु0 न0 118 के किला न0 17 ता 24, मु0 न0 119 किला न0 25, मु0 न0 136 के किला न0 5 ता 11, मु0 न0 137 के किला न0 1 ता 4, कुल 3.744है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 सरजीत के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। व रोही चक 11 जेजीडब्लयू के खाता सं0 299/295 के मु0 न0 69 के किला न0 11, 12, 19, 20, मु0 न0 70 के किला न0 6, 7, 15, 16 कुल 2.024है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सरजीत के नाम से खातेदारी दर्ज है, व चक 10 जेएसएल के खाता सं0 81/81 के मु0 न0 147 के किला न0 23 व 24 की कुल 0.506है0 में प्रतिवादी सरजीत के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 9 जेएसएल के खाता सं0 101/98 के मु0 न0 10 के किला न0 3 ता 8 कुल 1.518है0 में प्रतिवादी सरजीत के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उनमें वाद भूमि रोही मौजा चक 11 जेजीडब्ल्यू, 10 जेएसएल व 9 जेएसएल के तीनों खातों की कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 का नाम यथावत रखते हुए रोही मौजा 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 300/296 की वाद भूमि में प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

सहायक जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) सादुलशहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:45 IST
Reason: Seal Attested

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 300/296 के मु0 न0 118 के किला न0 17 ता 24, मु0 न0 119 किला न0 25, मु0

Scanned with CamScanner

न0 136 के किला न0 5 ता 11, मु0 न0 127 के किला न0 1 ता 4, कुल 3.744है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 सरजीत के नाम दर्ज भूमि में वाद भूमि में प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चुंकि प्रतिवादी स0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 शमशेर व प्रतिवादी सं0 2 करणपाल सिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्य नारायण)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner